



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - न.नि. 50-203/2022 3729

दिनांक- 8.9.22

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा-29 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार नगर निगम के आम निर्वाचन, 2022 के लिए निम्नांकित तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित नगरपालिका के उप-मुख्य पार्षद पद को स्तंभ 3 एवं 4 में उल्लिखित वर्ग के लिए आरक्षित/आवंटित करता है।

| क्रमांक | नगरपालिका की संख्या एवं नाम | कोटि जिसके लिए आरक्षित/ अनारक्षित है | महिला के लिए आरक्षित/अन्य |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1. आरा | अनारक्षित | महिला |
| 2 | 2. कटिहार | अनारक्षित | अन्य |
| 3 | 3. गया | अनुसूचित जाति | महिला |
| 4 | 4. छपरा | अनारक्षित | अन्य |
| 5. | 5. दरभंगा | अनारक्षित | महिला |
| 6. | 6. पटना | पिछड़ा वर्ग | महिला |
| 7. | 7. पूर्णियाँ | अनारक्षित | महिला |
| 8. | 8. बेगूसराय | अनारक्षित | महिला |
| 9. | 9. बेतिया | अनारक्षित | महिला |
| 10. | 10. बिहारशरीफ | अनारक्षित | महिला |
| 11. | 11. भागलपुर | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
| 12. | 12. मुंगेर | अनारक्षित | अन्य |
| 13. | 13. मुजफ्फरपुर | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
| 14. | 14. मधुबनी | अनारक्षित | अन्य |
| 15. | 15. मोतिहारी | अनारक्षित | अन्य |
| 16. | 16. समस्तीपुर | अनुसूचित जाति | अन्य |
| 17. | 17. सहरसा | अनारक्षित | अन्य |
| 18. | 18. सासाराम | अनारक्षित | महिला |
| 19. | 19. सीतामढ़ी | अनारक्षित | अन्य |

स्पष्टीकरण:- 1. अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटी की महिला से है, अर्थात् किसी नगरपालिका का मुख्य पार्षद का पद यदि "अनारक्षित महिला" के लिए आरक्षित है तो उस पद के लिए किसी भी कोटी की

महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की महिला सहित) निर्वाचित हो सकेगी।

2. "अनारक्षित (अन्य)" स्थानों से किसी भी कोटि के महिला या पुरुष अभ्यर्थी हो सकते हैं।


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,


सचिव

ज्ञापांक – न.नि. 50-203/2022 3729

दिनांक- 8.9.22

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

